भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2263
12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता

2263. श्रीमती महुआ मोइत्रा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की रिपोर्टों के अनुसार पतंजलि और अमूल सहित कुछ प्रसिद्ध ब्रांडों के खाद्य उत्पाद शुद्धता एवं गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन स्थानों पर ऐसे नमूनों का परीक्षण किया गया तथा इन उत्पादों में किस तरह की कमियां पाई गई थीं;

(ख) क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत संबंधित कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है/करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाजार में उपभोक्ताओं के लिए केवल गुणवत्तापरक एवं सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है, जिससे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन का उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का है। एफएसएस अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन (एफएसएसआर) के अंतर्गत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक अर्हताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से, पूरे वर्ष राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना (एनएएसपी), निरीक्षण और नमूना कार्यकलापों सहित नियमित स्थानीय/लक्षित विशेष प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाते हैं। यदि मानकों से कोई विचलन या एफएसएसआर का उल्लंघन पाया जाता है, तो उल्लंघनकर्ता खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) पर एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट दंडात्मक उपायों सहित नियामक कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2024–25 में मसालों के नमूनाकरण अभियान के दौरान, उत्तराखंड स्थित पतंजलि फूड्स की विनिर्माण इकाई से एकत्रित लाल मिर्च पाउडर का नमूना असुरक्षित घोषित किया गया, क्योंकि उसमें पाए गए कीटनाशक अवशेष निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से अधिक थे। परीक्षण परिणामों के आधार पर, संबंधित प्राधिकरण ने रिकॉल आदेश जारी किया, जिसके बाद एफबीओ ने प्रभावित उत्पाद को बाजार से वापस लेना शुरू कर दिया।

अमूल ब्रांड के उत्पादों के किसी भी नमूने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार असुरक्षित नहीं पाया गया है।

*****